संख्या:172/2019/489/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फर्रूखाबाद ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:22 जनवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फर्रूखाबाद की विधान सभा क्षेत्र- फर्रूखाबाद से संबंधित कार्यो हेतु रू. 495.683 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 495.683 लाख (रूपये चार करोड़ पच्यान्वे लाख अरसठ हजार तीन सौ मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	**कार्य का नाम**	**लम्बाई (किमी)**	**लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	फर्रूखाबाद	भोजपुर गाँव की पुलिया तक मार्ग का निर्माण	0.80	4.644	4.644
2	फर्रूखाबाद	रामनिवास कटियार के घर से अभय दुबे के घर तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.045	2.319	2.319
3	फर्रूखाबाद	हथियापुर पंचायत घर से कल्लू पाल के मकान तक इंटरलांकिंग कार्य	0.225	10.271	10.271
4	फर्रूखाबाद	रामवीर के घर से ट्रांसफार्मर शिवशंकर कटियार के घर तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.050	2.364	2.364
5	फर्रूखाबाद	वीरेन्द्र के मकान से मुन्नालाल दुबे के मकान तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.165	7.542	7.542
6	फर्रूखाबाद	भोला सिंह के मकान से ममता सिंह के मकान तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.060	2.646	2.646
7	फर्रूखाबाद	शमशेर नगर - दारा सिंह पूर्व प्रधान के घर से राम सिंह नेता के माकन तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.465	24.652	24.652
8	फर्रूखाबाद	आवास विकास एस०के सिंह के माकन से अजय तिवारी के माकन तक नाली सड़क का निर्माण कार्य	0.070	3.887	3.887
9	फर्रूखाबाद	अशोक कटियार शिवनारायण के घर तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.135	5.826	5.826
10	फर्रूखाबाद	रमेश के घर से महेश के घर तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.060	2.669	2.669

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
11	फर्रूखाबाद	अनुराग कटियार के घर से कौशल किशोर कटियार के घर तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.090	3.826	3.826
12	फर्रूखाबाद	विलावालपुर प्र०पा० सतेन्द्र पाल के मकान तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.155	6.835	6.835
13	फर्रूखाबाद	टीका नगरा -राजाराम शाक्य के माकन से वेदराम शाक्य के मकान तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.100	5.123	5.123
14	फर्रूखाबाद	शिकारपुर- धर्मपुर संपर्क मार्ग से रामशरण कोटेदार के मकान से देवी मंदिर रोड तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.185	7.519	7.519
15	फर्रूखाबाद	भाऊपुर- हरीकिशन के मकान से मंदिर तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.095	4.704	4.704
16	फर्रूखाबाद	गंगपुर-गुलरिया सम्पर्क मार्ग से फूल सिंह राजपूत के घर तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.245	13.247	13.247
17	फर्रूखाबाद	नगला कलान-रमेश चन्द्र के घर से आशाराम के घर तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.076	3.662	3.662
18	फर्रूखाबाद	नयामतपुर खेडा-राकेश के मकान से रमेश शाक्य के मकान तक इंटरलांकिंग मार्ग कानिर्माण	0.100	4.956	4.956
19	फर्रूखाबाद	गडिया ढिलावल-मैन रोड गडिया से रामौतारवर्मा के माकन तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.080	4.322	4.322
20	फर्रूखाबाद	रामस्वरूप शाक्य के मकान से लालराम शाक्य के मकान तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.250	12.859	12.859
21	फर्रूखाबाद	खेरबन्द नगला.फर्रुखाबाद वाईपास से अमरसिंह के मकान तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.100	6.236	6.236
22	फर्रूखाबाद	चन्द्र शेखर के घर से सतीश कुशवाह के घर तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.210	8.679	8.679
23	फर्रूखाबाद	स्वास्थ्य केंद्र से कौशल सिंह सितौली के घर तक इंटरलांकिंग मार्ग कानिर्माण	0.240	11.743	11.743
24	फर्रूखाबाद	विजय सिंह शाक्य के मकान से श्री कृष्ण शाक्य के मकान तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.090	4.039	4.039
25	फर्रूखाबाद	प्र०पा० भोजपुर से रमेश दुबे के घर तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.150	6.776	6.776
26	फर्रूखाबाद	ब्रजनंदन शाक्य के घर से प्र०पा० तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.165	8.150	8.150
27	फर्रूखाबाद	जदुनाथ वर्मा के घर से शियाराम के घर होतेहुए पक्की सड़क तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.158	6.657	6.657
28	फर्रूखाबाद	महमदपुर से नगला चंदेला तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.310	18.292	18.292
29	फर्रूखाबाद	संतोष के मकान से महेश के मकान तकइंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.150	6.281	6.281
30	फर्रूखाबाद	प्र०पा० पंचालघाट से बच्चा बाबा के आश्रम तक तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.300	13.866	13.866
31	फर्रूखाबाद	प्र०पा० गडाखेड़ा से मेहदिया तक इंटरलांकिंगमार्ग का निर्माण	0.300	14.471	14.471
32	फर्रूखाबाद	गुतासी पुलिया से प्र०पा० तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.200	9.559	9.559

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
33	फर्रूखाबाद	पकरिया शिवराम सिंह के घर से सितौली रोड तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.500	24.923	24.923
34	फर्रूखाबाद	खानपुर शंकर जी के मंदिर से टूटी पुलियानर्कोषा मार्ग पर इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.500	25.474	25.474
35	फर्रूखाबाद	किरतपुर गामा देवी मंदिर से ओमकार के मकानतक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.165	6.832	6.832
36	फर्रूखाबाद	सिविल लाइन मडया खुशीराम पाल के मकान सेजवाहर दिवाकर के मकान तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.090	5.242	5.242
37	फर्रूखाबाद	किरतपुर हनुमान मंदिर से रिंकू की मडैया तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.270	12.308	12.308
38	फर्रूखाबाद	मो० केशव नगर चौरासी-वीरेंदर मिश्र के मकान से रमन दुबे के मकान से होते हुये अनूप तिवारी के घर तक इंटरलांकिंग मार्गका निर्माण	0.150	6.730	6.730
39	फर्रूखाबाद	पकरिया राजन तिवारी के घर से बच्चा लाल पाल के घर तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.300	13.358	13.358
40	फर्रूखाबाद	ठंडी सड़क (एक्सिस बैंक) ओमप्रकाश त्रिपाठी के मकान से अनंग पाल सिंह के मकान तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.180	9.708	9.708
41	फर्रूखाबाद	गड़रियन नगला भोजपुर अनेक श्रीधर से नेत्रपाल यादव तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.250	12.270	12.270
42	फर्रूखाबाद	पिथूपुर मेहदिया से किदरापुर खरउआ नाला तकइंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.325	16.890	16.890
43	फर्रूखाबाद	भोजपुर नवाब यादव के घर से पंचायत घर तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.300	15.636	15.636
44	फर्रूखाबाद	चौकिया.शिशुपाल कुशवाह के यहाँ से अनिल कुशवाह तक चौकिया रामवीर कुशवाह के घर तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.355	13.799	13.799
45	फर्रूखाबाद	बालाजी पुरम- कारखाना से रामवीर शुक्ल केघर होते हुये ब्रजनंदन तिवारी के घर तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.075	4.100	4.100
46	फर्रूखाबाद	कीतपुर-राम सिंह कटियार की गोदाम से मंदिरहोते हुए इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.300	13.041	13.041
47	फर्रूखाबाद	नगला कलान खाद फैक्ट्री से जू०ह० तक इंटरलांकिंग मार्ग का निर्माण	0.270	13.331	13.331
48	फर्रूखाबाद	बंधा रोड से दुर्वासा आश्रम तक इंटरलांकिंगमार्ग का निर्माण	0.150	7.201	7.201
49	फर्रूखाबाद	गुंजन विहार कॉलोनी में नाला मुख्य मार्ग तक निर्माण नाला कार्य का निर्माण कार्य	0.410	46.218	46.218
		योग विधान सभा क्षेत्र फर्रूखाबाद	**10.414**	**495.683**	**495.683**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती ह तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत:कराया जायेगा व वित्तीयवर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग ह॥ अत: स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-विधान सभा क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह॥ अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह॥।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह॥।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

संख्या:172/2019/489(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
9- मुख्य विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फर्रूखाबाद ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फर्रूखाबाद ।
13- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, फर्रूखाबाद।
14- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।